

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर

प्रगति विवरण वर्ष 2018-19

(सितम्बर, 2018 तक)

बोर्ड द्वारा मुख्यतया राज्य में कृषकों को कृषि उपज के विपणन हेतु आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए मण्डी प्रांगणों में विकास कार्य व फसलोत्तर प्रबंधन का कार्य सम्पादित किया जाता है। फसलोत्तर प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन का कार्य बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा निष्पादित प्रमुख कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

- राज्य के विभिन्न मण्डी प्रांगणों के विकास हेतु परियोजनाएं तैयार करना, वित्तीय संस्थाओं से परियोजनाएं स्वीकृत कराना एवं परियोजनाओं के अनुसार विकास कार्यों का क्रियान्वयन करना।
- कृषि उपज मण्डी समिति के अन्तर्गत ग्रामीण भाग में सीमेन्ट क्रंकीट पेवमेन्ट (सड़क) एवं कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों (मिसिंग लिंक) का निर्माण कार्य।
- राज्य के उत्पाद विशेष की बहुलता वाले क्षेत्रों में विशिष्ट मण्डियों की परियोजना तैयार कर उन्हें विकसित करना।
- फसलोत्तर प्रबंधन सम्बन्धी कार्यों हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना।
- कृषि विपणन संबंधी कार्यकलापों का प्रचार-प्रसार।
- कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन निदेशालय एवं मण्डी कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
- राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन प्रोत्साहन नीति-2015

बोर्ड द्वारा संचालित मुख्य कार्यक्रम/योजनाएं :

निर्माण कार्य

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मण्डी यार्डों के निर्माण व रख-रखाव और अन्य विभागों के डिपोजिट कार्यों पर कुल 260.00 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2018-19 में निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध **अगस्त, 2018 तक 5323.74** लाख रुपये भवन निर्माण, **4245.74** लाख रुपये सड़क निर्माण व **3826.87** लाख रुपये डिपोजिट कार्यों पर व्यय किये गये। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में **माह सितम्बर, 2018 तक कुल 13396.35** लाख रुपये निर्माण कार्यों पर व्यय किये गये।

किसान भवन

किसानों को सस्ती दर पर ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि व कृषि विपणन के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारियां व प्रशिक्षण देने, कृषि आदानों की एक ही छत के नीचे आपूर्ति के उद्देश्य से समस्त संभागीय व जिला स्तर पर किसान भवन बनाये गये हैं। जयपुर किसान भवन का संचालन कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है एवं इसके अतिरिक्त सभी किसान भवनों का संचालन कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा किया जा रहा है।

किसान कल्याण कोष की स्थापना

राज्य के किसानों को आवश्यक विपणन सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान कल्याण कोष की स्थापना हेतु अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.05.2005 को जारी की गयी, जिसके अनुसरण में बोर्ड के द्वारा "किसान कल्याण कोष" की स्थापना की गयी। इस कोष का उपयोग उत्पादन से विपणन तक के क्रियाकलापों के लिए किया जाता है। राज्य में उक्त कोष से पैक हाऊस निर्माण, कोल्ड स्टोरेजों के निर्माण व अन्य कृषक कल्याण के कार्य करवाये गये हैं।

एग्रो ट्रेड टॉवरों का निर्माण

राज्य में कृषि उपज मण्डी समितियों श्रीगंगानगर, कोटा, खैरथल (अलवर), बहरोड (अलवर), निवाई (टोंक), उदयपुर व निम्बाहेडा (चित्तोडगढ) में एग्रो ट्रेड टॉवरों का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त ट्रेड टॉवरों हेतु क्रमशः 1387.00, 1260.68, 708.44, 1079.00, 1164.89, 1400.00 व 1370.40 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई। श्रीगंगानगर एग्रो ट्रेड टॉवर का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कोटा, खैरथल, बहरोड, निवाई व उदयपुर का कार्य प्रगति पर है। निम्बाहेडा एग्रो ट्रेड टॉवर की स्वीकृति दिनांक 17.04.2018 को जारी हुई है तथा इसका तकमीना तैयार करवाया जा रहा है। उक्त एग्रो ट्रेड टॉवरों में दुकानें, बैंक, रेस्टोरेन्ट, ए.टी.एम. आदि मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कराया जा रहा है। इनके निर्माण कार्य पर **2327.26** लाख रुपये व्यय हुये हैं।

राजीव गांधी कृषक साथी योजना-2009

इस योजना के अंतर्गत कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मण्डी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय, गांव से मण्डी तक विक्रय करने के अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग-भंग होने पर बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिये सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि 5000/- रुपये से 2,00,000/- रुपये तक दी जा रही है। वर्ष 2018-19 में **सितम्बर, 2018** तक **2107** व्यक्तियों को राशि **2716.00** लाख रुपये की आर्थिक सहायता का संबंधित मण्डियों को पुर्नभरण किया गया।

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन प्रोत्साहन नीति-2015

राज्य में कृषि प्रसंस्करण व कृषि विपणन को प्रोत्साहन देकर कृषि क्षेत्र में आय वृद्धि, फसलोत्तर हानि में कमी व कृषि औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आपूर्ति श्रृंखला, निर्यात को प्रोत्साहन एवं आधारभूत संरचना तैयार करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन प्रोत्साहन-नीति 2015 लागू की गई।

नीति के अन्तर्गत कृषि प्रसंस्करण इकाईयों को **RIPS-** 2014 में देय लाभ के अतिरिक्त फल एवं सब्जियों एवं अन्य औद्योगिकी उत्पाद के निर्यात पर 4.50 रुपये प्रति किलोग्राम अथवा **FOB** वेल्यू का 20 प्रतिशत जो भी कम हो, रुपये 10 लाख प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा तक 3 वर्ष तक अनुदान देने का प्रावधान है।